राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 46/2021 अपील

1. श्रीमती घीसीदेवी पुत्री स्व. भूरा गाडरी पत्नी काशीराम गाडरी निवासी तस्वारिया हाल निवासी सवाईपुर तहसील कोटडी
–अपीलार्थी

बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० लेण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्व नामान्तरकरण नंबर 121 दिनांक 05.12.1978 तहसीलदार भीलवाडा

उपस्थित –

1. श्री श्यामलाल गुर्जर अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री दिनेश चन्द्र तिवाड़ी राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.11.2021

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 05.12.1978 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाड़ा की जगाबंदी संवत 2034–37 खाता सं० 29 में अंकित आराजी किता 16 रकबा 17.11 बीघा भूमि जो अपीलार्थीया के स्व० पिता भूरा पिता मोडा गाडरी के नाम दर्ज रिकार्ड थी। भूरा पिता मोड़ा का निधन हो जाने के पश्चात स्व० भूरा की विरासत हेतु नामांतरण सं० 121 संस्थित किया गया जिसमें भूरा के बजाय मोती पिता भूरा गाडरी का नाम दर्ज कर दिनांक 05.12.1978 को तहसीलदार भीलवाडा द्वारा विवादित नामांतरण का अंतिम विनिश्चय किया गया। अपीलार्थीया स्व० भूरा पिता मोडा गाडरी की जायन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है किन्तु तहसीलदार भीलवाड़ा में विरासत से जो नामांतरण निर्मित किया गया उसमें अपीलार्थीया का नाम दर्ज नहीं किया गया केवले मृतक भूरा के पुत्र मोती को दर्ज कर कानूनी भूल की है। जिससे तहसीलदार भीलवाड़ा का आदेश निरस्त योग्य है। पारिवारिक सजरे से स्थिति स्पष्ट है कि मृतक भूरा के एक पुत्र मोती व एक पुत्री घीसी उत्पन्न हुए जिसमें पुत्र मोती व उसकी पत्नी देऊ लाऔलाद फोत हो चुके हैं, जिससे मृतक भूरा की एकमात्र विधिक वारिस अपीलार्थीया है, किन्तु तहसीलदार भीलवाडा ने विवादित नामांतरण का निस्तारण करते समय अपीलार्थीया का नाम दर्ज न कर कानूनी भूल की है, जिससे तथाकथित नामांतरण निरस्त योग्य है।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

मृतक भूरा की विरासत के पश्चात मोती पिता भूरा के नाम पर भूमि दर्ज रिकार्ड की गई। मोती के निधन के बाद वादग्रस्त आराजियात वर्तमान में मोती की पत्नी श्रीमती देऊ के विरासत से दर्ज किया गया किन्तु देऊ का भी निधन हो चुका है इस प्रकार मृतक भूरा के लिये अपीलार्थीया हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सगी बहन होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है। वर्तमान में विवादित आराजी भूभाग जिसमें 1/3 हिस्सा भूरा के पुत्र मोती के नाम दर्ज किया गया था किन्तु मोती का निधन हो जाने से मोती के स्थान पर उसकी पत्नी देऊ को 1/3 हिस्से से विरासत से दर्ज किया गया। अब मृतक भूरा के विधिक वारिस की श्रेणी में अपीलार्थीया एकमात्र वारिस होकर वादग्रस्त आराजी भूभाग में 1/3 हिस्सा दर्ज कराने की अधिकारिणी है। ऐसी स्थिति में तथाकथित नामांतरकरण अपास्त योग्य है। विवादित आदेश की जानकारी अपीलार्थीया को नहीं थी दिनांक 27.09.2021 को हल्का पटवारी से जानकारी करने पर यह विदित हुआ कि अपीलार्थीया का नाम अपने पिता की विरासत करते समय अंकित नहीं किया गया, जबकि वादग्रस्त आराजी भूभाग भूरा के पिता के जीवनकाल से चली आ रही है, जो पुश्तैनी आराजियात की श्रेणी में है। इस प्रकार विवादित आदेश की जानकारी दिनांक 27.09.2021 को हुई। अपीलार्थीया अनपढ़ ग्रामीण महिला होकर कानून की जानकारी नहीं रखती है जिससे समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सकी। अब कानूनी सलाहकार से सलाह लेने पर जानकारी होने पर जानकारी दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत करने की व्यवस्था है लेकिन अनपढ़ महिला होने से समय पर अपील प्रस्तुत नहीं की। विलम्ब को क्षमा कराने के लिये दफा 5 कानून मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार कराई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पारित किया गया नामांतरण सं0 121 निर्णय दिनांक 05.12.1978 को निरस्त कराया जाकर मृतक भूरा के पुत्र व पुत्रवधु लाऔलाद फोत हो जाने से अपीलार्थीया के पक्ष में नामांतरण दर्ज करा स्वीकृत कराने के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 30.09.2021 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। अपीलार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस दौरान अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाड़ा की जगाबंदी संवत 2034–37 खाता सं० 29 में अंकित आराजी किता 16 रकबा 17.11 बीघा भूमि जो अपीलार्थीया के स्व० पिता भूरा पिता मोडा गाडरी के नाम दर्ज रिकार्ड थी। भूरा पिता मोड़ा

का निधन हो जाने के पश्चात स्व० भूरा की विरासत हेतु नामांतरण सं० 121 संस्थित किया गया जिसमें भूरा के बजाय मोती पिता भूरा गाडरी का नाम दर्ज कर दिनांक 05.12.1978 को तहसीलदार भीलवाडा द्वारा विवादित नामांतरण का अंतिम विनिश्चय किया गया। अपीलार्थीया स्व० भूरा पिता मोडा गाडरी की जायन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है किन्तु तहसीलदार भीलवाड़ा में विरासत से जो नामांतरण निर्मित किया गया उसमें अपीलार्थीया का नाम दर्ज नहीं किया गया केवले मृतक भूरा के पुत्र मोती को दर्ज कर दिया गया। पारिवारिक सजरे अनुसार मृतक भूरा के एक पुत्र मोती व एक पुत्री घीसी उत्पन्न हुए जिसमें पुत्र मोती व उसकी पत्नी देऊ लाऔलाद फोत हो चुके हैं, जिससे मृतक भूरा की एकमात्र विधिक वारिस अपीलार्थीया है। वर्तमान में विवादित आराजी भूभाग जिसमें 1/3 हिस्सा भूरा के पुत्र मोती के नाम दर्ज किया गया था किन्तु मोती का निधन हो जाने से मोती के स्थान पर उसकी पत्नी देऊ को 1/3 हिस्से से विरासत से दर्ज किया गया। अब मृतक भूरा के विधिक वारिस की श्रेणी में अपीलार्थीया एकमात्र वारिस होकर वादग्रस्त आराजी भूभाग में 1/3 हिस्सा दर्ज कराने की अधिकारिणी है। ऐसी स्थिति में तथाकथित नामांतरकरण अपास्त योग्य है। निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थीया स्वीकार कराई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पारित किया गया नामांतरण सं0 121 निर्णय दिनांक 05.12.1978 को निरस्त कराया जाकर मृतक भूरा के पुत्र व पुत्रवधु लाऔलाद फोत हो जाने से अपीलार्थीया के पक्ष में नामांतरण दर्ज करा स्वीकृत कराने के आदेश प्रदान कराये जावे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट को वक्त नामान्तरकरण स्वयं मय आवश्यक दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना चाहिये था। अपीलांट स्वयं मय दस्तावेज उपस्थित नही होने से, अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.12.1978 को नामान्तरकरण संख्या 121 पारित किया गया, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि नामान्तरकरण संख्या 121 पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट मुताबिक पक्षकार की समुचित सुनवायी किये बिना ही एवं भूरा पिता मोडा गाडरी के विरासतन की सम्पूर्ण जानकारी किये बिना ही तहसीलदार को रिपोर्ट की गयी। तदनुसार तहसीलदार भीलवाडा ने नामान्तरकरण संख्या 121 को दिनांक 05.12.1978 को

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पारित कर दिया गया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता। जबकि मृतक भूरा के वारिसान की सम्पूर्ण जांच की जानी चाहिये थी। वर्तमान जमाबंदी की स्थिति अनुसार मृतक भूरा के वारिसान की सम्पूर्ण जांचकर सभी पक्षकारों की समुचित सुनवायी की जाकर, आवश्यक दस्तावेजात की सम्यक जांच करते हुए तहसीलदार भीलवाडा को प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 121 पारित किया जाना चाहिये था। कार्यालय ग्राम पंचायत सवाईपुर पंचायत समिति कोटडी के पत्रांक/ग्रा पं. /2021/स्पे. 2 दिनांक 11.11.2021 से अपीलार्थीया श्रीमती घीसी देवी पत्नी काशीराम गाडरी को भूरा पिता मोडा गाडरी निवासी तस्वारिया की पुत्री बताया गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत पालडी के पत्रांक/ ग्रा पं. पा. /2021–22 दिनांक 11.11.2021 अनुसार श्रीमती घीसी देवी पत्नी काशीराम गाडरी को भूरा पिता मोडा गाडरी की पुत्री बताया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार मृतक भूरा पिता मोडा गाडरी के विरासतन की सम्पूर्ण जांचकर, हितबद्ध पक्षकारों की सुनवायी कर एवं सभी तथ्यों व दस्तावेजात की जांच कर तथा मृतक मोती के वारिसान की भी सम्पूर्ण जांच कर अजसिरे निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं। अतएव –

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं। तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 121 निर्णय दिनांक 05.12.1978 को अपास्त कर तहसीलदार भीलवाडा को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में मृतक भूरा पिता मोडा गाडरी के विरासतन की सम्पूर्ण जांचकर, हितबद्ध पक्षकारों की सुनवायी कर एवं सभी तथ्यों व दस्तावेजात की जांच कर एवं मृतक मोती के वारिसान की भी सम्पूर्ण जांच कर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा